पत्र संख्या-2/नि0-1013/2000-5782/

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री संजय कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिलाधिकारी, बिहार,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक- 3 अक्टूबर, 2001

विषय:- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 24-8-2000 से 20-10-2000 तक की गई हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के कतिपय पदाधिकारी ने दिनांक 24-8-2000 से 20-10-2000 तक हड़ताल पर रहे । सरकारी सेवकों द्वारा हड़ताल में भाग लेना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 8 (1) का उल्लंघन है ।

2- हड़ताल अवधि (दिनांक 24-8-2000 से 20-10-2000 तक) को विनियमित करने के विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(1) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 8 (1) को शिथिल करते हुए हड़ताल के क्रम में अनुपस्थित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति की अवधि को उनके द्वारा तत्संबंधी आवेदन समर्पित करने पर उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाय । जिन पदाधिकारियों को उतना उपार्जित अवकाश अवशेष नहीं हो, उन्हें शेष अवधि के लिए असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाय ।

(2) उपर्युक्त अनुपस्थिति की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी ।

3- उक्त निर्णय को निम्न प्रकार से कार्यान्वित किया जाएगा:-

(i) संबंधित पदाधिकारी द्वारा उचित माध्यम से विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी को आवेदन किया जाएगा ।

(ii) बिहार प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदाधिकारी, जो उक्त अवधि में हड़ताल पर थे, के अवकाश लेखा का अद्यतन लेखा विवरणी प्राप्त कर उपर धारा (2) के अनुरूप अवकाश की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी ।

4- छुट्टी वेतन एवं भत्तों का आनुषंगिक भुगतान वर्ष 2001-2002 के लिए वेतन एवं भत्ता मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5- यह पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

विश्वास भाजन

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक-12/नि0-1013/2000का0 5792 / पटना-15, दिनांक- 3 अक्टूबर, 2001

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं महालेखाकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।